देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर

निविदा–प्रपत्र   अहस्तांतरणीय

कार्य का नाम :–विश्वविद्यालय के आर.एन.टी. मार्ग स्थित नालंदा परिसर, खण्डवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर एवं आई.ई.टी. परिसर एवं आवासीय परिसर में सुरक्षा गार्ड हेतु **Online Tenders Notice(e – निविदा)**उपलब्ध कराना।

1	Uploading/ Publication of Tender Document	19-10-2024
2	Downloading of Tender Document through website http://www.mptenders.gov.in	19-10-2024
3	Seek clarification start Date	23-10-2024
4	Seek clarification end Date	28-10-2024
5	Last date of bid submission	08-11-2024 Time 5.30 pm
6	Technical bid opening date	11.11.2024 Time 3.30 pm
7	Bid Security/Earnest Money Deposit(EMD)	INR 11,00,000/-
8	Tender Fee	INR 3000/-

नोट :–1. पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफा में (1) तकनीकी प्रपत्र–1(2)(शपथ–पत्र) प्रपत्र–2 (3) वित्तीय प्रस्तावप्रपत्र–3 तथा अमानत राशि (EMD) रखकर, लिफाके के उपर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे। साथ ही बड़े लिफाफे पर "सुरक्षा एजेन्सी हेतु निविदा लिखा जाये।"

2. प्रपत्र 1 तथा 2, अमानत राशि का बैक ड्राफ्ट/Onlineराशि की जमा रसीद के लिफाफों को एक सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें। केवल वित्तिय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में रखना अनिवार्य है। उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर चपड़ी से सील किया जाना अथवा हस्ताक्षर उपरान्त सेलोटेप से सील किया जाना आवश्यक है। बड़े लिफाफे पर स्पष्ट रूप से सुरक्षा एजेंसी हेतु निविदा लिखा जाये। सभी दस्तावेजों को Onlineजमा करना आवश्यक है। अन्यथा निविदा को विचार में नहीं लिया जावेगा। किसी भी स्थिति में केवल Onlineजमा दस्तावेज ही मान्य किये जावेंगे।

3. अमानत राशि की एफ.डी.आर./ डी.डी. जमा नहीं करने पर निविदा स्वयमेव निविदा निरस्त हो जायेगी। सफल निविदाकार एवं द्वितीयचयनित निविदाकार को छोडकर, शेष निविदाकार को अमानत राशि लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार कोअनुबंध समाप्ति के पश्चात् ही अमानत राशि लौटाई जावेगी।

4. प्रथमतः तकनीकी बिड खोली जावेगी, जो निविदाकर्ता तकनीकी रूप से योग्य पाए जावेंगे, केवल उन्ही की वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अयोग्य पाए जाने पर उनके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नही किया जावेगा। निविदा के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से तकनीकीनिविदा तथावित्तीय प्रस्ताव अंकित किया जावें।

5. निविदा कुलसचिव,देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर को निर्धारित तिथि एवंसमय तक प्राप्त होना चाहिए। इसके उपरांत प्राप्त निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा।

(प्रो. एस टोकेकर) प्रो. आई.ई.टी.	(डॉ.रत्नेश गुप्ता) डॉ.इन्स्ट्रूमेंटेशन	(श्रीमती सुषमा ठाकुर) वित्त नियंत्रक	(प्रो.दीपक मेहता) डॉ.शारिरीक शिक्षा
(डॉ. अर्चना रॉका) विधि प्रकोष्ठ	(डॉ. नागेन्द्र सोहनी) विश्वविद्यालय यंत्री	(सुश्री रचना ठाकुर) उप कुलसचिव (प्रशासन)	

क. निविदाकर्त्ता की आवश्यक अर्हता :–

इस निविदा में भाग लेने के लिये निविदाकार को निम्न अर्हताओं की पूर्ति करना आवश्यक होगा –

1. सुरक्षा एजेंसी को प्रायवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (रेग्यूलेशन) एक्ट 2005 के अंतर्गत पंजीबद्ध होना आवश्यक है।
2. अमानत राशि की एफ.डी.आर./डी.डी. जमा नहीं करने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी। निविदाकार को नोटरी द्वारा प्रमाणित एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें यह उल्लेख किया जाये कि किसी भी शासकीय अर्द्ध शासकीय संस्था द्वारा उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। भविष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में निविदाकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की जा सकेगी।
3. निविदाकार को सुरक्षा संबंधी व्यवसाय का कम से कम 05 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो तथा निविदाकार को पिछले तीन वर्षों में (सुरक्षा संबंधी) कार्य का एक वर्ष टर्न ओवर कम से कम 04 करोड रूपये हो ।जिसमें एक (single order)रू. 50.00लाख या अधिक का होना चाहिये। निर्धारित अनुभव के प्रमाण में संबंधित कार्यालय के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. सुरक्षा एजेंसी के पास पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।
5. न्यूनतम टर्नओवर के संबंध में पिछले तीन वर्षो की अंकेक्षण रिपोर्ट लाभ हानि पत्रक , बैंलेंसशीट एवं अंकेक्षक के प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगी।
6. सुरक्षा एजेंसी के पास विगत तीन वर्ष मेंशासकीय/अर्द्धशासकीय या निगम में कार्य का अनुभवहोना आवश्यक है।
7. प्रपत्र एक एवं दो अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक दस्तावेज एक सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें तथा प्रपत्र तीन(वित्तीय प्रस्ताव) पृथक सीलबंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है। लिफाफे चपड़ी से सील किये हुए अथवा हस्ताक्षर उपरांत सेलो टेप से सील किये जाना आवश्यक है, अन्यथा निविदा को विचार में नही लिया जा सकेगा। प्रथमतः तकनीकी बिड खोली जावेगी, जो निविदाकर्ता तकनीकी रूप से योग्य पाए जावेंगे केवल उन्ही की वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अयोग्य पाए जाने पर उनके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

ख. विभिन्न श्रेणी के कर्मियों की अनुमानित आवश्यकता तथा न्यूनतम योग्यता/मापदण्ड का विवरण :–

क्र.	पदनाम	पद संख्या (अनुमानित)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/ शारीरिक मापदण्ड
1.	सुपरवाईजर	03	शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ, कम से कम 10वीं पास तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान हो। ऊचाई 5'फिट' से कम ना हो। उम्र–न्यूनतम 25 अधिकतम 55 वर्ष है।
2.	सुरक्षा गार्ड (सामान्य)	200	शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ, सक्षम तथा कम से कम 8वीं पास, हिन्दी का पढ़ने, लिखने का ज्ञान हो। ऊचाई 5''फीट से कम ना हो। संबेधित वर्गो को नियमानुसार ऊचाई (Height)में छूट दी जायेगी–न्यूनतम 21 अधिकतम 55 वर्ष।
3.	गनमेन	03	गनमेन शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ, कम से कम मिडिल पास तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का सामान्य ज्ञान हो। आवश्यक गन लायसेंस होना अनिवार्य है। उँचाई 5'5'' से कम ना हो। उम्रन्यूनतम30 अधिकतम 55 वर्ष होना चाहिये।गनमैन सेना/Ex-पैरामिलेट्री फोर्ससरिटायर्ड आर्मी पर्सन होना अनिवार्य है।

उपरोक्त संख्या पूर्णतः अनुमानित है तथा यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी श्रेणी में उल्लेखित पद संख्या अनुसार एजेंसी को कार्यादेश दिया जाये। कर्मियों की संख्या वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तनशील रहेंगी। भविष्य में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थानों मेंआवश्यकता होने पर एजेंसी को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराना होंगे। उपलब्ध कराये गये कुल सुरक्षाकर्मियों में से न्यूनतम 20% Ex army Person/Ex-policemn/Ex-homeguard उपलब्ध नही पाए जाने पर भुगतान नही किया जावेगा । आवश्यकता होने पर 20% तक महिला गार्ड उपलब्ध कराना होगा। महिलाओं के लिये न्यूनतम हाईट 05 फीट रहेगी।

ग. निविदा की विशेष शर्तें :—

1. यह आवश्यक होगा कि निविदाकार कार्य की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र / राज्य शासन के प्रचलित विभिन्न नियम / एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध हो और यह दायित्व पूर्णतः निविदाकार का होगा।
2. निविदा के साथ दि प्रायवेट सिक्युरिटी एजेंसीज(रेग्यूलेशन) एक्ट 2005, कर्मचारी भविष्य निधि, लेबर लायसेंस,ई.एस.आई.सी.GST,आयकर(पेन नंबर) के अंतर्गत पंजीयन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. निविदा के साथ अमानत राशि रु. 11,00,000 / —(ग्यारह लाख मात्र) एफ.डी.आर. / डी.डी. (इंदौर में देय)के रूप में कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के नाम से जमा करना अनिवार्य है। अमानत राशि की एफ.डी.आर. / डी.डी. जमा नहीं करने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी। सफल निविदाकार को अनुबंध समाप्ति के पश्चात अमानत राशि लौटाई जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को राष्ट्रीयकृत बैंक से संविदा मूल्य की 3% राशि डी.डी. / एफ.डी.आर. / बैंक ग्यारंटी (परफारमेन्स ग्यारंटी)के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. चयनित निविदाकार विश्वविद्यालय के साथ प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करेगा, जो उभयपक्षों की सहमति से एक—एक वर्ष के लिये दो बार बढ़ाया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय 15 दिवस की पूर्व सूचना / कारण बताओ नोटिस पर अनुबंध को समाप्त कर सकेगा तथाऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार शस्तियां भी अधिरोपितकर सकेगा।
6. निविदाकार को चयनित होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि जो कि एक माह से अधिक नहीं होगीमें अनुबंध निष्पादित करना होगा उस अवधि में अनुबंध न करने की स्थिति में धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी तथा अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि जो कि किसी भी स्थिति में एक माह से अधिक नहीं होगी उसे अवधि में कार्य प्रारंभ करना होगा उस अवधि में कार्य न करने की स्थिति में धरोहर राशि तथा परफारमेन्स ग्यारंटी दोनों ही राजसात की जा सकेगी।प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की प्रतिदिनकी ड्यूटी कार्य 8 घण्टे की होगी तथा विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार संपूर्ण 24 घण्टे की कालावधि(तीन शिफ्ट) में सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का दायित्व चयनित एजेंसी का होगा।एजेंसी को सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण कराना अनिवार्य होगा।ताकि सुरक्षा गार्डो के द्वारा सही तरीके से सुरक्षा कार्य संपादित किया जा सके।
7 किसी भी कर्मी के छुटटी पर जाने की स्थिति में बदली सुरक्षाकर्मी रखने की व्यवस्था भी चयनित एजेंसी को करना होगी। नियमानुसार दिये गये वैतनिक अवकाश की अवधि में उपलब्ध कराये गये कर्मियों की सेवा हेतु नियमानुसार रिलीविंग चार्जेस के भुगतान की जिम्मेदारी भी एजेंसी की होगी।निविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि वह विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं सभी उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। किसी भी प्रकार की हानिकी दशा में क्षतिपूर्ति संबंधी राशि निविदाकार से वसूली योग्य होगी।
8. सुरक्षा कर्मियों को वर्दी जूते मोजे, केप, रेनकोट, केप,टॉर्च, सीटी (बेंत)केन पेट्रोलिंग हेतु साइकिल एवंअन्य सुरक्षा सामग्रीउपलब्ध कराने का संपूर्ण दायित्व चयनितएजेंसी का होगा।कार्य केदौरानसुरक्षा कर्मियों को वर्दी (ड्रेस)में होना आवश्यक है तथा ड्युटी के समय उनकेपास परिचय पत्र तथा नेम प्लेट व अन्य आवश्यक सामग्री होना आवश्यक है।
9. सुरक्षा कर्मियों के गैरकानूनी कार्यों में लिप्त पाये जाने अथवा कार्य के समय नशे में होने, अभद्रता करने अथवा अन्य अनपेक्षित कार्य करने की स्थिति में उसे तत्काल पृथक कर, विश्वविद्यालय की संतुष्टि अनुसार अन्य कर्मी को उपलब्ध कराने का दायित्व भी चयनित एजेंसी का होगा।
10 श्रम कानून के पूर्णतः पालन करने के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद—विवाद उत्पन्न होने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व चयनितएजेंसी का रहेगा। जैसे कि कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबालिशन) एक्ट 1970, न्यूनतम मजदूरी एक्ट1948, The contract labour (Regulationand abolition)Act 1970,Payment of gratuity Act 1972, Remumeration Act 1976,1965पेमेन्ट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेन्ट ऑफ बोनस एक्ट, इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्टस एक्ट 1947, एमप्लाईज प्रोविडेंट फण्ड

एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एमप्लाईज स्टेट इंश्यूरेंस एक्ट 1948, वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट 1923, मोटर व्हीकलएक्ट एवं विधि द्वारा लागू की गई अन्य एक्ट निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

11 यह आवश्यक होगा कि चयनित निविदाकार द्वारा नियोजित कर्मियों का न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, पेमेन्ट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेन्ट ऑफ बोनस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य वित्तीय लाभ का भुगतान किया जावे तथा प्रचलित नियमों के अनुसार प्रोविडेंट फण्ड, ई.एस.आई.सी. इत्यादि की राशि नियत समयावधि में संबंधित सक्षम अधिकारी के कार्यालय में जमा कराने की जिम्मेदारी भी चयनित निविदाकार की होगी। सुरक्षा एजेंसी एवं उसके द्वारा सेवा में रखे गये सुरक्षा कर्मी के बीच किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय को किसी भी रूप में पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। उपरोक्त संदर्भ बाबत वचन–पत्र सुरक्षा एजेंसी को नियुक्ति सुरक्षा गार्डों से लेना होगा। जिसे विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

12 यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण से नियुक्त अनुबंधित कार्य समाप्त किया जाता है तो विश्वविद्यालय से किया गया अनुबंध स्वतः ही समाप्त माना जावेगा। इस स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों की समस्त जवाबदारी एजेंसी की होगी ऐसी किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालयकिसी भी प्रकार का कोई दायित्व एवं जवाबदेही नहीं होगी।

13 सभी सुरक्षाकर्मियों का व्यक्तिगत विवरण पत्रक जिसमें उनका नाम, पता, फोटो एवं मोबाईल नंबर तथाआधार कार्ड की प्रति अनिवार्य है,तथा सुरक्षा कार्य में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन, मेडिकल रिपोर्ट विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा। समस्त सुरक्षा कर्मी एवं स्टाफ को कार्य के दौरान पहचान पत्र, नेम प्लेट रखना आवश्यक होगा जिसे किसी भी निरीक्षण अधिकारी के द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।विश्वविद्यालय द्वारा ऐजेंसी के खर्चो पर सुरक्षा कर्मचारियों का चिकित्सकीय परीक्षण एवं ऑखों की जॉच कराई जा सकती है, शारीरिक दक्षता भी आवश्यक है।

14 किसी भी निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी तथा प्रथम दृष्टया निरस्त की जावेगी।

15 कार्य के दौरान किसी सुरक्षा कर्मी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सबंधित कर्मी की संपूर्ण जिम्मेदारी चयनित सुरक्षा एजेंसी की ही होगी।

16 इस अनुबंध के तहत सेवा समाप्ति के विवाद के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में कुलगुरु, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर आर्बिटेटर होंगे तथा उनके द्वारा लिए गए निर्णय एजेंसी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

17 सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार के लिये सक्षम न्यायालय इन्दौर होगा। इस निविदा आमंत्रण के अंतर्गत अंतिम चयन का अधिकार कुलगुरु,देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को होगा।

18 इस निविदा आमंत्रण के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय का अधिकार कुलसचिव महोदय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को होगा।निविदा प्रक्रिया को किसी भी समय एवं किसी भी स्तर पर कुलसचिव द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में कुलसचिव द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा विश्वविद्यालय किसी भी निविदा प्रस्तुतकर्ता को किसी भी प्रकार की क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

19. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार कर्मियों की संख्या घटा/बढ़ा सके।

20. निविदाकार को ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिये आवश्यक राशि का दुर्घटना बीमा एवं समूह बीमा मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से कराना अनिवार्य होगी।बीमे की पालिसी कोदेयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना,क्लेम विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। इसका समस्त उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

21. आवेदन की प्रत्येक प्रविष्टिपूर्ण एवं स्पष्ट लिपि में पठनीय होना आवश्यक है। दरें शब्दों एवं अंको दोनों में अंकित करना अनिवार्य होगा, दरों में किसी भी प्रकार का अंतर मान्य नहीं होगा।

22. (1) रात्रि में मेनगेट पर तैनात सुरक्षा गार्डो को 100 मीटर तक रोशनी वाली सर्च लाईट तथाबाकी सभी गार्ड जो रात्रि में तैनात है उनके पास टार्च होना अनिवार्यहै।

(2) गेट पर तथा भवनो के बाहर तैनात गार्डो को रेनकोट अथवा (बरसाती)।

(3) कम से कम पचास प्रतिशत सुरक्षा गार्डो के पास मोबाईल फोन हो।

(4) सभी सुरक्षा गार्डो के पास सीटी,लट्ठ, केन(बेंत) होना अनिवार्य है।

(5) ऐजेन्सी को साप्ताहिक सभी स्थानों पर लगाई गई ड्युटी का चार्टसाप्ताहिक जारी करना होगा। ताकि किस स्थान पर किस गार्ड की ड्युटी लगाई गई अधिकारियों के संज्ञान में रहे।

घ. देयकों के भुगतान संबंधी प्रक्रिया :–

1. भुगतान की गणना सुरक्षा कर्मी की विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई मासिक उपस्थिति के आधार पर की जावेगी । यदि संबंधित कर्मी किसी कारण से अवकाश पर रहता है तब एजेंसी द्वारा अवकाश अवधि हेतु अन्य कर्मी उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसके एवज में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. उपस्थिति पत्रक हेतु माह की गणना (रिपोर्ट) 1 तारीख से 30 तारीख/माह के अन्त तक ली जावेगी।
3. मासिक गणना 26 कार्य दिवस तथा 4 वैतनिक अवकाश को सम्मिलित करते हुये प्रचलित दर नियमानुसार की जावेगी ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत किये गये प्रत्येक विभागीय अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह माह समाप्ति के उपरान्त यथाशीघ्र उपस्थिति पत्रक को प्रमाणित कर एजेंसी के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराये तथा विभागाध्यक्ष/निदेशक/कुलसचिव को बिल प्राप्त होने पर आवश्यक गणना, परीक्षण इत्यादि के उपरांत बिलों पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर अंकेक्षण से पारित होने के उपरांत भुगतान हेतु लेखा शाखा को प्रस्तुत करना होगें।
5. प्रत्येक माह की 05 तारीख तक एजेंसी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति पत्रकों पर संबंधित प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण एवं अन्य विवरण के साथ, देयक तैयार कर विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग/प्रशासन विभाग को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा ।

यदि बिल प्रस्तुतीकरण में संबंधित एजेंसी द्वारा विलंब किया जाता है एवं सुरक्षाकर्मियों की समय पर वेतन नही मिलता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित एजेंसी का होगा।

6. एजेंसी को देयकों का भुगतान चेक द्वारा अथवा ऑन लाईन किया जावेगा तथा नियमानुसार आयकर एवं अन्य करों का स्त्रोत पर कटोत्रा किया जावेगा ।
7. देयकों के साथ पिछले माह में भुगतान के विरूद्ध आयुक्त भविष्य निधि कार्यालय तथा ई.एस.आई. कार्यालय में जमा राशि की रसीद,जी.एस.टी. चालान की प्रति, बीमे की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्यहै।
8. कुलसचिव द्वारा कार्य आदेश के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों/स्थानों/ अधोसंरचना इत्यादि पर नियुक्त किये जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों की शिफ्टवार आवश्यकता का विवरण उपलब्ध कराया जावेगा। इसी आधार पर निविदा के भाग में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार देयक तैयार किया जाकर सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। आवश्यकता/कर्मियों के कार्यस्थल में परिवर्तन/निर्धारित संख्या के निर्धारण हेतु कुलसचिव सक्षम अधिकारी होंगे।

ङ़. दण्ड/अनुबंध निरस्तीकरण :–

1. किसी भी समय बिना कोई विशेष कारण अंकित किये 1 माह के नोटिस पर कार्य को समाप्त किए जाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2. किसी भी कर्मी द्वारा संबंधित अधिकारी, जिसके अनुदेशों के अंतर्गत वह कार्य कर रहा है, की संतुष्टि अनुरूप कार्य न करने अथवा अन्य आपत्तिजनक कार्य करने की स्थिति में उस कर्मी के, असंतुष्टि की अवधि के भुगतान के तुल्य दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा । परंतु इसलिये यह आवश्यक होगा कि संबंधित कर्मी एवं एजेंसी को प्राकृतिक न्याय के अनुरूप सूचना पत्र देकर पक्ष स्पष्ट करने हेतु अवसर दिया जावे । दण्ड निश्चित होने के पश्चात निर्धारित राशि का तत्समय लंबित देयक की राशि में से कटोत्रा किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त नियमित डिफाल्ट/संतुष्टि अनुरूप कार्य न होने पर अधिकतम 2,000/– रूपये प्रतिदिन की दर से एजेंसी पर दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकेगा ।

3. एजेंसीद्वारा कर्तव्यों की अवेहलना के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय को कोई भी प्रत्यक्ष हानि होती है तो कुलसचिव गुण–दोष के आधार पर आवश्यकतानुसार वित्तीय दण्ड अधिरोपित कर सकेंगे। इस हेतु एजेंसी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जावेगा ।

4. यदि चयनित निविदाकार द्वारा कण्डिका ''ग'' (10 एवं 11) मे उल्लेखित प्रावधानों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पर कोई वित्तिय दायित्व, सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाता है तो वह राशि चयनित निविदाकार के लम्बित देयक/सुरक्षा निधि/फरफारमेंस ग्यारंटी मे से काटी जा सकेगी तथा उल्लेखित मदों मे उपलब्ध राशि विश्वविद्यालय के दायित्व से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि के भुगतान की वैधानिक जिम्मेदारी चयनित निविदाकार की होगी।

5. किसी भी प्रकार के अधिरोपित दण्ड की राशि एजेंसी के लंबित देयक/अमानत राशि/ परफार्मेंस ग्यारंटी में से काटी जा सकेगी। एजेंसी की लापरवाही से विश्वविद्यालय की प्रापर्टी को तोडफोड़ एवं चोरी से हुये नुकसान इत्यादि की भरपाई एजेंसी के देयक/ निष्पादित प्रतिपूर्ति राशि से की जायेगी।

6. कुलसचिव द्वारा कार्य आदेश के साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों/विभागों/ अध्ययनशालाओं/स्थानों/अधोसंरचना इत्यादि पर नियुक्त किये जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों की शिफ्टवार आवश्यकता का विवरण उपलब्ध कराया जावेगा। इसी आधार पर निविदा के भाग 'घ' मे उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार देयक तैयार किया जाकर सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। आवश्यकतानुसार कर्मियों के कार्य स्थल मे परिवर्तन हेतु कुलसचिव सक्षम होगें।

च. वित्तीय प्रस्तावः–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा अन्य संबंधित प्रचलित नियमों के अनुसार कर्मी की देयताओं को सम्मिलित करते हुये वित्तीय प्रस्ताव में विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को दिये जाने वाले वेतन की प्रतिमाह राशि का उल्लेख किया जाना है।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किये जाने पर निर्धारित दिनांक से प्रतिशत वृद्धि/कमी के आधार पर प्रति कर्मी देय राशि का पुर्ननिर्धारण किया जा सकेगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्रस्तावित कर्मियों को निम्नानुसार श्रेणी मे विभक्त किया गया है, ताकि उन्हें योग्यतानुसार वेतन प्राप्त हो सकें :–

क्र.	पदनाम सुरक्षा कर्मी	न्यूनतम मासिक देयता नियत करने का आधार
1	सुरक्षा कर्मी सुपरवाईजर	कुशल कर्मी के समकक्ष, जिलाधीश द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन।
2	सुरक्षा गार्ड (सामान्य)	अकुशल कर्मी के समकक्ष, जिलाधीश द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन।
3	गनमेन रिटायर्ड आर्मी पर्सन / Ex-पेरा मिलेट्री फोर्सेस	कुशल कर्मी के समकक्ष, जिलाधीशद्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन।

सर्विस टेक्स का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।

4. मासिक दर में समस्त वैधानिक भुगतान, कटौत्रेआदि सम्मलित किया जावे।

5. सुरक्षा एजेंसी को न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, पेमेंट आफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत , समक्ष अधिकारी द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य वित्तीय लाभ का भुगतान किया जावे तथा प्रचलित नियमों के अनुसार प्रोविडेंट फंड, ई.एस. आई.सी. जी.एस.टी. इत्यादि की राशि नियत समयावधि में संबंधित समक्ष अधिकारी के कार्यालय में जमा कराने की जिम्मेदारी भी चयनित निविदाकार ही होगी।

6. एजेंसी को वित्तीय प्रस्ताव गणना में सुविधा हेतु एक प्रपत्र यहां दिया जा रहा है, जिसमें कॉलम 8 में की राशि रखकर सर्विस चार्जेस / प्रबंधकीय व्यय की गणना कर वित्तीय प्रस्ताव वित्तीय निविदा में करना होगा।

S.No.	**Description**	**Basic Wages as per minimum wages Act.**	**ESI @ 4.75%**	**EPF @13.61%**	**Total**	**Weekly Rest, Total X4.33/26**	**(6+7) Cost per head per month**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	**Security Supervisor**	12410.00	403.33	1613.30	14426.63	2402.59	16829.21
2	**Security Guard**	10175.00	330.69	1322.75	11828.44	1969.89	13798.33
3	**Gun Man** (Retired Armyperson)	12410.00	403.33	1613.30	14426.63	2402.59	16829.21

न्यूनतम वेतन इन्दौर जिलाधीश द्वारा समय–समय पर घोषित दरो के अनुरूप होगी। वैधानिक कर एवं उपकर जो तत्समय पर प्रभावशील रहेगा, वह मान्य रहेगा तथा उसका भुगतान संबंधित निविदाकार द्वारा रिटर्न फाईल कर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगातथा देयक से नियमानुसार टी.डी.एस. भी काटा जावेगा।

छ. <u>आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण (तकनीकी बीड के लिफाफे के अंदर)</u> :–

1. निविदाकार की अमानत राशि रु. 11,00,000/–(ग्यारह लाख मात्र) एफ.डी.आर./ डी.डी. के रूप में कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के नाम से देय की मूल प्रति।
2. निविदाकार के स्वामित्व संबंधी प्रमाण का अभिलेख (जैसे फर्म पंजीयन, कंपनी का मेमोरेंडम, निगमन प्रमाण–पत्र इत्यादि)
3. निविदाकार के सुरक्षा संबंधी व्यवसाय का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव संबधी प्रमाण पत्र।
4. दि प्रायवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (रेग्यूलेशन) एक्ट 2005 के अंतर्गत पंजीयन/एवं पंजीयन कम से कम 3 वर्ष के लिये वैध होना चाहिये।
5 कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट 2005 के अन्तर्गत पंजीयन/ कर्मचारी भविष्य निधि, लेबर लायसेंस, ईएसआईसी, पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आयकर (पेन नंबर) की प्रति ।
6. अनुभव के प्रमाण हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति।
7. टर्नओवर के प्रमाण हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र ।
8. नोटरी द्वारा प्रमाणित एक शपथ पत्र। (सुरक्षा एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि/ निविदाकार के स्वयं का होना चाहिए)
9. विगत तीन वर्षो की लाभ–हानि दर्शाने संबंधी आडिट की हुई बैलेंस शीट एवं आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति।
10 पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।
11.. श्रमिक लायसेंस<u>copy of solvancy certificate(in original)</u>पेन कार्ड की प्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र ।
12. माह की GST रिटर्न (GSIR-1 and GSTR-3B) की प्रति।
13. पिछले तीन वर्षो का सुरक्षा एजेंसी का अधिकतम आर्डर की प्रति।
14. निविदाकर्ता ने किसी शिक्षा संस्थान में कार्यकिया है, उसका प्रमाण–पत्र लगावे।
15. पिछले छैः माह का पी.एफ/ई.एस.आई.सी. रिर्टन जमा कर की प्रति ।
16. पिछले तीन वर्षो का गणना पत्रक एवं आयकर रिर्टन की सत्यापित प्रति।
17. राज्य शासन अथवा केन्द्र सरकार से यदि कोई प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ हो तो प्रति संलग्न करे।
18. कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रकार की पी.एफ. कर्मचारी राज्य बीमा निगम,जीएसटी संबंधित जांच ब्लेक लिस्ट की कार्यवाही नही की गई हो। (यदि जांच चल रही हो तो जानकारी दें)
19. एजेंसी का पिछले तीन वर्षो का आयकर रिर्टन एवं गणना पत्रक की प्रति।
20. ISO सर्टिफिकेट की प्रति।
21. इन्दौर नगर निगम की सीमा में कंपनी का कार्यालय होना चाहिये। (अभिलेख लगाये)

कुलसचिव
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इंदौर

प्रपत्र–एक

तकनीकी प्रस्ताव

निविदाकार की विवरणी

1. सुरक्षा एजेंसी / फर्म का नाम एवं प्रकार :– ....

2. एजेंसी / फर्म का पूरा पताः– ....

....

3. एजेंसी / फर्म का फोन नंबर :– फोन नंबर ....
मोबाईल नंबर

मोबाईल नंबर ....

4. प्रायवेट सिक्यूरिटी एजेंसी रेग्यूलेशन
एक्ट 2005 के अंतर्गत पंजीयन क्रं.एवं दिनांक ....

5. पंजीयन क्र.एवं दिनांकः– ....
(श्रमायुक्त कार्यालय का)

6. भविष्य निधि कार्यालय का ....
पंजीयन क्र. एवं दिनांक

7. ई.एस.आई.सी.में पंजीयन का क्र. एवं दिनांक :– ....

8.PANक्रमांक ....

9. GST विभाग का पंजीयन / दिनांक ....

10.GST क्र. ....

11. एजेंसी का वार्षिक टर्न ओवर ....
(विगत तीन वर्षो कापृथक–पृथक संलग्न करें)

12. विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की
छायाप्रति संलग्न करें ....

13 एजेंसी / फर्म के विरूद्ध न्यायालय में लंबित प्रकरण
(यदि विचाराधीन है) हॉ अथवा नहीं (यदि है तो
विवरण अंकित करें)

14. क्या एजेंसी को कभी शासकीय / अर्द्धशासकीय
संस्था द्वारा ब्लेक लिस्ट किया गया है।(शपथ–पत्र संलग्न करे) ....

15. सुरक्षा कार्य का अनुभव 3 वर्ष का एवं संबंधित संस्थान काप्रमाण–पत्र ....(वर्षो में)

16 विगत 3 वर्षों मेंकिसी संस्था का एक वर्ष राशि रु 2 करोड या अधिकके किये गये कार्यों के विवरण ....

17 वर्तमान में चल रहें कार्यों का विवरण ....

18 ISOसर्टिफिकेशन(पंजीयन की प्रति संलग्न करे) ....

19 DGR के अंतर्गत कार्य का अनुभव यदि हो तो...
(अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

20 अमानत राशि एफ.डी.आर. / डी.डी. का बैंक का नाम,क्रमांक, दिनांक ....

21 साल्वेन्सी सर्टिफिकेट ....

22 एजेंसी में वर्तमान में कार्यरत गनमेन / सुरक्षाकर्मी की संख्या ....

23 एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं / विशेषताएं या अन्य उल्लेखनीय बिन्दु यदि कोई हो तो ....

24. निविदाकार या एजेंसी के अधिकृत ....
अधिकारी का नाम, पता, फोन नं. ....
मोबाइल नं.(प्रमाण पत्र संलग्न करे) ....

25. अन्य आवश्यक जानकारी

उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण अभिलेखीय आधार पर पूर्णतया सत्य है। यदि उपरोक्तप्रस्तुत जानकारी में कोई असत्यता किसी स्तर पर पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्त करने तथा वैधानिककार्यवाही करने का कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

स्थान –

दिनांक – (निविदाकार / एजेंसी के अधिकृत अधिकारी)

नाम ....

नोट :– स्थान कम पड़ने की स्थिति में उपरोक्त जानकारियों हेतु पृथक से प्रपत्र संलग्न किया जा सकता है।

प्रपत्र–दो

शपथ पत्र का प्रारूप

(नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मैं .... पिता .... उम्र .... निवासी .... निम्नानुसार शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि,

1 .... (एजेंसी का नाम) का अधिकृत प्रतिनिधि हूं तथा एजेंसी की ओर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा आमंत्रित निविदा .... (निविदा का नाम) दिनांक .... के संबंध मे निविदा प्रस्तुती एवं अन्य सभी संबधित कार्य हेतु अधिकृत हूं।

2 मैं प्रमाणित करता हॅू कि मेरे द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रस्तुत जानकारी में कोई असत्यता किसी भी स्तर पर पाई जाती है तो एजेंसी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को पूर्ण अधिकार होगा।

3 मेरी ऐजेंसी को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग में किसी भी कारण से ब्लेकलिस्ट नही किया गया है।

4 मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाकर समझ लिया गया है तथा मैं सभी शर्तों के पालन हेतु एजेंसी की ओर से सहमति देता हूं।

5 इस निविदा के संबंध में कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा लिया गया निर्णय मान्य तथा बंधनकारी होगा।

दिनांक .... (शपथकर्ता)

मैं .... सत्य निष्ठापूर्वक प्रमाणित करता हॅू कि ऊपर बिन्दु 1 से लगायत 5 तक की समस्त जानकारी एजेंसी के अभिलेखों के आधार पर सही है।

(शपथकर्ता)

प्रपत्र–तीन

वित्तीय प्रस्ताव

फर्म का नाम : ....प्रोपाराईटर / पार्टनर्स का नाम निविदाकर्ता
.... पता..
....फोन नम्बर / मोबाईल नम्बर ....

क्र.	घटक (Cmponents)	सुरक्षा गार्ड (सामान्य) महिला पुरूष)की (8 घंटे की ड्युटी के लिए) मासिक आधार पर	सुपरवाईजर (कुल संख्या 03)	गनमेन (कुल संख्या 03)
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	मूल वेतन की (मासिक दरप्रतिव्यक्ति)Monthly rates of Basic wages			
2.	ई.एस.आई.सी. प्रति व्यक्ति 4.75%			
3.	ई पी.एफ. प्रति व्यक्ति @13.61%			
4.	प्रति व्यक्ति वेतन का योग			
5.	प्रतिव्यक्ति प्रबंधकिय / सेवा शुल्क Service Charges per person			
6.	प्रति व्यक्ति कुल लांगत (योग) सरल क्रमांक 1 से 5			
7.	G.S.T. एवं / अथवा अन्य कर			
8.	कुल योग			

टीप :– प्रबंधकीय शुल्क मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्र.F-11-1 नियम / चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2023 के बिन्दु 7(स)अनुसार होगा।

1. न्यूनतम मूल वेतन इन्दौर जिलाधीश द्वारा समय–समय पर घोषित दरों के अनुरूप होगी।
2. शासन द्वाराESIC कटोत्राEPFएवं GST की प्रचलित दरों के आदेश की प्रमाणित प्रतियां वित्तीय बीड के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए।

<u>नोटः</u>–यदि दो या अधिक संस्थओं की वित्तीय दरें एक समान पायी जाती है, तो विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा की वह मापदण्ड निर्धारित कर श्रेष्ठ अनुभव एवं गुणवत्ता वाली कंपनी को कार्यदेश जारी कर सकेगी।

हस्ताक्षर

(निविदादाता / एजेंसीं के अधिकृत अधिकारी)

नाम ....

दिनांक ....

घोषणा

1. मैं/हम ———————————————— पुत्र/पुत्री/पत्नी —————————— उपरोक्त फर्म/अभिकरण के मालिक/संचालक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं इस निविदा पत्र को निष्पादित करने के लिए सक्षम हूँ/हैं ।

2. मैनें/हमने निविदा की सभी शर्तों को ठीक से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसे मानने के लिए वचन देता हूँ/देते हैं ।

3. उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं उसके साथ लगाये गये दस्तावेज मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं। मैं/हम इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ/समझते हैं कि यदि निविदा प्रपत्र में दी गई कोई भी सूचना गलत या लगाये गये दस्तावेज जाली पाये जाते हैं तो मेरे/हमारे निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मेरे/हमारे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

तिथि : अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
स्थान :

नाम : ....

मोहर

निविदा के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज का क्रम :

1. अभिकरण के पंजीकरण की साक्ष्यांकित प्रति।
2. पैन/जी.एस.टी. नं. की साक्ष्यांकित प्रति।
3. अभिकरण द्वारा पिछले तीन वर्ष में दाखिल किये गये आयकर विवरण की साक्ष्यांकित प्रति।
4. सेवाकर पंजीकरण प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रति।
5. अनुभव प्रमाण पत्र।